पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / HRMS-03/2022, सो०–1509

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 27/05/2026

विषयः– **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) अंतर्गत सभी नियमित कर्मियों के संदर्भ में Leave Management Module Service तथा ServiceVerification Module का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक–134, दिनांक–22.01.2024, पत्रांक–887, दिनांक–31.06.2024, पत्रांक–125, दिनांक–25.07.2024 एवं पत्रांक–174, दिनांक–16.01.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्र संख्या–3928, दिनांक–05.10.2023 के माध्यम से HRMS परियोजना अन्तर्गत 5 (पाँच) मॉड्यूल्स को लागू किये जाने से अवगत कराया जा चुका है, जिसमें Leave Mnagement Module तथा Service Verification Module भी सम्मिलित हैं। इन दो मॉड्यूल्स का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रसंग वर्णित पत्रों के माध्यम से अनुरोध एवं आवश्यक दिशा–निर्देश भी दिये गये हैं। परियोजना से सभी कार्यालयों का दिनांक–31.10.2024 तक शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–1702, दिनांक–25.09.2024 के द्वारा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को निदेशित करने एवं आवश्यकतानुसार साप्ताहिक अनुश्रवण का भी अनुरोध किया जा चुका है। इन पत्रों की प्रति बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वेब पोर्टल https://bpsm.bihar.gov.inके Homepage पर Important Letter अंतर्गत उपलब्ध है और User Manual पुस्तिकाओं की प्रतियाँ उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। राज्य कर्मी अवकाश आवेदन के लिए "Bihar HRMS" APP का उपयोग Android Mobile set पर" play store से Download कर कर सकते हैं। यह पाया जा रहा है कि कार्यालयों द्वारा HRMS पोर्टल का अपेक्षित उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो चिन्ता का विषय है।

अराजपत्रित कर्मियों का पोर्टल पर सभी प्रकार के आदेश / अवशेष अवकाश की प्रविष्टि 'Balance as on Date' हेतु कार्यालय स्थापना सक्षम है।

राजपत्रित पदाधिकारियों के संदर्भ में आदेय / अवशेष अवकाश की प्रविष्टि पदस्थापना कार्यालय स्थापना शाखा द्वारा भी की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश प्रविष्टि के छुट्टी अवशेष कार्यालय में ही उपलब्ध होते हैं और वित्त (वैत्तिक दावा निबटारा कोषांग) विभाग / प्रधान महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आदेय अवकाश प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय से प्राप्त आदेय अवकाश प्रतिवेदन के आधार पर 'Balance as on Date' के बाद अवकाश प्रविष्टि की तिथि तक अनुमान्य अवकाश

जोड़कर अद्यतन आंकड़ा दर्ज किया जायेगा। इस संदर्भ में वित्त (वैत्तिक दावा निबटारा कोषांग) विभाग से प्राप्त पत्र संख्या–1756 (25), दिनांक–21.08.2025 एवं 133 (25), दिनांक–29.09.2024 की छायाप्रति के साथ नमूना के तौर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का आदेश अवकाश पत्र संख्या 1192 (23), दिनांक–11.09.2024 की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) अंतर्गत सभी नियमित कर्मियों के संदर्भ में Leave Management Module Service तथा ServiceVerification Module का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्रवाई करने की कृपा की जायः–

1. विभाग स्तर से सभी अधिनस्थ कार्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाय कि 30 जून, 2026 तक सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का सभी प्रकार का आदेश/अवशेष अवकाश उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर HRMS पोर्टल पर अद्यतन कर ली जाय और जुलाई, 2026 से पोर्टल के माध्यम से ही छुटट्री आवेदन स्वीकार किया जाना अनिवार्य होगा।
2. राजपत्रित पदाधिकारी, जिनका अवकाश आदेयता (आकास्मिक प्रकृति के अवकाश को छोड़कर)उपलब्ध नहीं है, का भौतिक आवेदन प्राप्त होने पर भी पहले अवकाश आदेयता की सूचना सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर पोर्टल पर अद्यतन किये जाने के बाद, पोर्टल के माध्यम से से पुनः आवेदन प्राप्त किया जाय और स्वीकृति की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही प्रारम्भ की जाय।
3. स्थापना शाखा सभी राज्य कर्मियों का ई–सेवा पुस्तिका/अभिलेख आदेश के आलोक में DCF/Current Entry के माध्यम से अद्यतन करते हुऐ आराजपत्रित कर्मियों का जुलाई, 2025 से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सेवा सत्यापन का कार्य HRMS पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित करेंगे ताकि ई–सेवापुस्त का उपयोग अन्य HRMS पोर्टल यथा–सेवा सम्पुष्टि, स्थानान्तरण एवं पदस्थापन वेतन निर्धारण का सत्यापन सेवांत/मृत्योपरान्त लाभ आदि की प्रक्रिया Online पूर्ण किया जा सके।
4. माह जून, 2026 के अंतिम सप्ताह या अगली मासिक समीक्षा बैठक के दौरान प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी द्वारा अधनिस्थ सभी विभागों के कार्यालय प्रधानों के साथ HRMS के माध्यम से Leave Manageent Modules ई–सेवापुस्त/अभिलेख का अद्यतिकरण एवं वार्षिक सेवा सत्यापन राज्य कर्मियों एवं कार्यालयों द्वारा उपयोग करने की समीक्षा कर कार्यारम्भ नहीं करने वाले कार्यालयों के संबंधित दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
5. विभाग स्तर पर इस कार्य की समीक्षा लगातार तीन माहों तक मासिक बैठकों में की जायेगी और समीक्षात्मक प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन,

27.5.2026

(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक।

35D:\Office\Office Work\HRMS\HRMS Letter..................docx

ज्ञापांक :— बि०प्र०सु०मि०सो० / HRMS-03 / 2022, ...1509...., दिनांक 27/05/2024

प्रतिलिपि :— 1— सभी निदेशक, बिहार ।

2—सभी राज्य स्तरीय / क्षेत्रीय पुलिस अपर महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक ।

3— सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) / समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस / प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र।

4— सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / संयुक्त आयुक्त—सह—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैत्तिक दावा निबटारा कोषांग) विभाग, पटना।

5—M/S KPMG, HRMS परियोजना पटना / IPE Global Pvt. Ltd. परामर्शी, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना, पटना को कृपया सूचना एवं त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajesh 27.5.2024

अपर मुख्य सचिव—सह—मिशन निदेशक

36D:\Office\Office Work\HRMS\HRMS Letter.................docx

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः–14/विविध–11–02/2024–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक सहित)/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन एवं अभियंत्रण सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव (मुख्यालय/प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक अभियंता, संपर्क कार्यालय, बिहार सदन, कमरा नं0–203, सेक्टर–19, द्वारका, नई दिल्ली–110075/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–1509 दिनांक–27.05.2026 द्वारा दिये गये निर्देशों का ससमय अनुपालन करते हुए विहित प्रपत्र में वाँछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0–यथोक्त।

ह0/–
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (HRMS)

ज्ञापांक–14/विविध–11–02/2024– 2980   /पटना, दिनांक– 01/6/26
प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु :– बि०प्र०सु०मि०सो० का पत्रांक–1509, दिनांक–27.05.2026 तथा विहित प्रपत्र।

01/06/2026
अवर सचिव (प्रबंधन)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (HRMS)

प्रपत्र

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	अवशेष अवकाश उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर HRMS पोर्टल पर अद्यतन किया गया है अथवा नहीं (हाँ/नहीं)	HRMS के माध्यम से Leave Management Module के तहत ई–सेवा पुस्त/अभिलेख HRMS पोर्टल पर अद्यतन किया गया है अथवा नहीं (हाँ/नहीं)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5